

अति तत्काल  
आर टी आई मामला

सं. 14036/437/2013-यू टी पी

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,  
दिनांक : 18<sup>th</sup> जून, 2013

सेवा में

श्री मुख्यमंत्री सिंह,  
डब्ल्यू जैड-168, खाम्पुर,  
वेस्ट पटेल नगर,  
नई दिल्ली-110008

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका दिनांक 18.3.2013 का आवेदन।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके उपर्युक्त आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 11.06.2013 को प्राप्त) का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. बिंदु 1 के संबंध में : जस्टिस (सेवानिवृत्ति) जे.एस. वर्मा समिति के बारे में अधिसूचनाओं की एक प्रति संलग्न है।

3. बिंदु 2 के संबंध में : आपका आर टी आई आवेदन प्रशासन अनुभाग, गृह मंत्रालय को अंतरित किया जा रहा है।

4. बिंदु सं. 3 के संबंध में : जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति की रिपोर्ट इंटरनेट पर उपलब्ध है। यदि आप रिपोर्ट की हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो आपको 1260/- रुपए (2/- रुपए प्रति पृष्ठ की दर से) जमा करने होंगे क्योंकि रिपोर्ट के 630 पृष्ठ हैं।

5. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाथ श्री के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू.टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,

८०८/५४/५  
(एस. सुधा)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं  
अवर सचिव (डी.पी.-II)  
दूरभाष : 23092856

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. श्री भगवान शंकर, संयुक्त सचिव (प्रशा.), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली। आर टी आई आवेदन की एक प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न की जा रही है कि अपेक्षित सूचना सीधे आवेदक को भेजी जाए।

26/6/13